2006:CGHC:5555

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम : माननीय श्री एस. आर. नायक, मुख्य न्यायाधीश और

माननीय श्री दिलीप रावसाहब देशमुख, न्यायाधीश

रिट याचिका संख्या 2512/2003

याचिकाकर्ता : 1. कोल इंडिया सेवानिवृत्त अधिकारी संघ, द्वारा : अध्यक्ष, बलदेव सिंह, एच. आई. जी./54, महाराणा प्रताप नगर, कोरबा (छग)

2. बलदेव सिंह, पिता स्वर्गीय एस. जी. सिंह, एच. आई. जी./54, महाराणा प्रताप नगर, कोरबा (छग)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : 1) भारत संघ, द्वारा : सचिव, कोयला मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

2) कोल इंडिया लिमिटेड, द्वारा: अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, 10, एन. एस. रोड, कोलकाता।

3) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, द्वारा : अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, सीपत रोड, बिलासपुर (छग)

4) आयुक्त, कोयला खान भविष्य निधि, धनबाद (झारखंड)

तथा

रिट याचिका संख्या 4103/2003

याचिकाकर्ता : एस. एस. राव, पिता स्वर्गीय एस. आर. मूर्ति, सी/ओ- पी. के. रॉय, दीपू पारा, नालंदा स्कूल के पास, बिलासपुर-495004

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : 1) भारत संघ, द्वारा : सचिव, कोयला मंत्रालय,

2006:CGHC:5555

नई दिल्ली।
2) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, द्वारा : अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, सीपत रोड, बिलासपुर-495001
3) आयुक्त, कोयला खान भविष्य निधि, धनबाद (झारखंड)

- याचिकाकर्ताओं के लिए श्री गैरी मुखोपाध्याय, अधिवक्ता ।
- भारत संघ/उत्तरवादी संख्या 1 और 4 (रिट याचिका संख्या 2512/2003 में) और उत्तरवादी संख्या 3 (रिट याचिका संख्या 4103/2003 में) के लिए श्री एस. के. बेरीवाल, भारत संघ के लिए स्थायी अधिवक्ता
- उत्तरवादी संख्या 2 और 3(रिट याचिका संख्या 2512/2003 में) और उत्तरवादी संख्या 2 (रिट याचिका संख्या 4103/2003 में) के लिए श्री पी. एस. कोशी, विद्वान् अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मौखिक आदेश

(दिनांक 19.4.2006 को पारित)

न्यायालय का निम्नलिखित मौखिक आदेश एस. आर. नायक, मुख्य न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया।

1. चूँकि इन दोनों रिट याचिकाओं में निर्णय हेतु उद्भूत विधिक प्रश्न एक समान है, अतः इन रिट याचिकाओं को एक साथ संयोजित किया जाता है, इनकी एक साथ सुनवाई की जाती है और इन्हें इस समान निर्णय और आदेश द्वारा निराकृत किया जाता है।

2. इन रिट याचिकाओं में कोयला खान पेंशन योजना, 1998 (संक्षेप में, "योजना") की कंडिका–5 के परंतुक की संवैधानिक विधिमान्यता को चुनौती दी गई है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1948 (1948 का 46 वां अधिनियम) (संक्षेप में, "अधिनियम") की धारा–3 ङ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कोयला खान कुटुंब पेंशन योजना, 1971 के स्थान पर तैयार की गई है।

2006:CGHC:5555

3. इस योजना की कंडिका–5 इस प्रकार हैः

(5) कोई कर्मचारी, जो सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड स्टाफ प्रोविडेंट फंड, दरभंगा हाउस, रांची, जिसे आगे सीसीएलएसपीएफ कहा जाएगा, या कोल माइंस नेशनलाइजेशन प्रोविडेंट फंड रूल्स, 1976 के तहत गठित कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड स्टाफ प्रोविडेंट फंड, जिसे आगे सीएमएएलएसपीएफ कहा जाएगा, का सदस्य था और 1 अप्रैल, 1994 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुआ या कोल माइंस प्रोविडेंट फंड का सदस्य बन गया है, उसे इस योजना का सदस्य माना जाएगा और 7 अक्टूबर, 2002 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए या सेवानिवृत्त हुए सदस्यों के संबंध में सेवानिवृत्ति की तिथि के बाद की तिथि से पेंशन प्राप्त करने का पात्र माना जाएगा और अन्य सदस्य इस योजना के उपबंधों के अनुसार 08 अक्टूबर, 2002 से पेंशन प्राप्त करने के पात्र होंगे:

परंतु यह कि कर्मचारी या पूर्व कर्मचारी या कुटुंब (पूर्व कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में) पेंशन निधि में कंडिका 3 के खंड (ख), (ग), (घ) और (ङ) तथा (च) में निर्दिष्ट राशि के बराबर बकाया राशि ब्याज सहित जमा कराए, साथ ही जमा की तारीख से 1 मार्च 1971 या सेवा में शामिल होने की तारीख, जो भी बाद में हो, 7 अक्टूबर 2002 तक या अधिवार्षिकी या सेवानिवृत्ति की तारीख तक, जैसा भी मामला हो, अपने भविष्य निधि संचय से ऐसी राशि के हस्तांतरण को अधिकृत करके, उन सदस्यों के संबंध में जिन्होंने अपने भविष्य निधि संचय को वापस नहीं लिया है, और अन्य सदस्यों के मामलों के लिए, डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नोटः–इस कंडिका के उद्देश्य के लिए –

(i) इस कंडिका के अंतर्गत एक मानित सदस्य के पास इस योजना में सम्मिलित नहीं होने का विकल्प होगा। इसके लिए वह इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से एक साल के भीतर आयुक्त को लिखित रूप में सूचित करेगा। एक बार चयनित किया गया विकल्प अंतिम होगा।

(ii) कण्डिका–3 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट राशि पर कण्डिका–3 के खण्ड (ग) और (घ) के लिए कोयला खान भविष्य निधि सदस्यों को स्वीकार्य दरों पर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज मिलेगा और कण्डिका–3 के खण्ड (ङ) के अंतर्गत राशि पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित दर पर कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 में अपने अंशदान में दिनांक 31–03–1998 तक ब्याज जमा किया जाएगा और दिनांक 01–04–1998 से प्रभावी 8.5% की दर से ब्याज मिलेगा।

(iii) पेंशन योग्य सेवा की गणना कंडिका–2 (ण) के निबंधन में यह मानते हुए की जाएगी कि वे बंद हो चुकी कोयला खान कुटुंब पेंशन योजना, 1971 या कोयला खान पेंशन योजना, 1998 , जैसा भी प्रकरण हो, दिनांक 01–03–1971 से या सीएमएएलएसपीएफ या सीसीएलएसपीएफ में सम्मिलित होने की तारीख, जो भी बाद में हो, से 07 अक्टूबर , 2002 तक या अधिवार्षिकी या सेवानिवृत्ति की तिथि तक , जैसी भी स्थिति हो, के सदस्य थे।

(iv) पेंशन योग्य सेवा के संबंध में किसी भी विवाद के प्रकरण में, आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री गैरी मुखोपाध्याय ने तर्क दिया कि योजना की कंडिका–5 के परंतुक के अधीन अधिरोपित शर्तें काफी कठिन, मनमानी, अनुचित हैं और संविधान के अनुच्छेद–14 के साथ–साथ अनुच्छेद–21 का भी उल्लंघन करती हैं। उपरोक्त तर्क को विस्तार से बताते हुए, विद्वान अधिवक्ता ने यह इंगित किया कि उक्त परंतुक के संदर्भ में, जो भी याचिकाकर्ता योजना के अधीन पेंशन का विकल्प चुनना चाहते हैं, उन्हें न केवल अपने अंशदान का भुगतान करना आवश्यक है, अपितु भारत सरकार और नियोक्ता पर अधिरोपित भार का भी भुगतान करना आवश्यक है, और इसलिए, परंतुक की निंदा करनी चाहिए क्योंकि यह मनमाना और अनुच्छेद–14 के अभिधारणाओं का उल्लंघनकारी है। विद्वान अधिवक्ता ने वैकल्पिक रूप से तर्क दिया कि यह उपधारणा करते हुए भी कि किसी कर्मचारी के लिए योजना के अंतर्गत पेंशन का विकल्प चुनने के लिए परंतुक में विहित शर्तों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के आधार पर मान्य रखा जा सकता है, तब भी, किसी कर्मचारी द्वारा परंतुक के अंतर्गत जमा की जाने वाली अपेक्षित धनराशि को ऐसे कर्मचारी को देय धनराशि के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है, यदि वह योजना के अंतर्गत पेंशन का विकल्प चुनता है।

(5) हमने उत्तरवादीगण के लिए विद्वान अधिवक्ताओं को भी सुना है और उन्होंने आक्षेपित उपबंध का समर्थन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2006:CGHC:5555

(6) पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, निर्णय लेने के लिए केवल एक ही प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या याचिकाकर्ता ने यह घोषित करने के लिए कोई आधार बनाया है कि योजना की कंडिका–5 के परंतुक का आक्षेपित उपबंध असंवैधानिक और अमान्य है।

(7) आक्षेपित उपबंध केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाया गया प्रत्यायोजित कानून है। यह सुस्थापित है कि किसी प्रत्यायोजित विधान की संवैधानिक विधिमान्यता को केवल कुछ आधारों पर ही सफलतापूर्वक प्रश्नाधीन किया जा सकता है, जैसे (i) कि मूल अधिनियम संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर है; (ii) कि प्रत्यायोजित विधान संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर है; (iii) कि प्रत्यायोजित विधान इस अर्थ में मूल अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर है कि वह मूल अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्ति से अधिक है या यह मूल अधिनियम के साथ संघर्ष में है या यह मूल अधिनियम की निर्धारित प्रक्रिया के साथ संघर्ष में है या यह अनुचित, मनमाना और भेदभावपूर्ण है या यह दुर्भावनापूर्ण है या यह मूल अधिनियम में स्पष्ट प्राधिकार के अभाव में सामान्य विधि से प्राप्त याचिकाकर्ताओं के अधिकारों का अतिक्रमण करता है या यह किसी अन्य संविधि की शर्तों के विरुद्ध है। इस प्रकरण में, उन आधारों में से किसी भी आधार का आक्षेपित प्रत्यायोजित कानून की संवैधानिक विधिमान्यता को चुनौती देने के लिए प्रयोग नहीं किया गया है, सिवाय इस आधार पर कि योजना के अंतर्गत पेंशन का विकल्प चुनने के लिए याचिकाकर्ताओं पर पूर्व शर्त के रूप में परंतुक के अंतर्गत अधिरोपित शर्तें अनुचित और मनमानीपूर्ण हैं। बहस के दौरान, हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता से स्पष्ट रूप से पूछा था कि यदि याचिकाकर्ताओं ने कंडिका–5 के उपबंध के अनुसार उन पर अधिरोपित शर्तों का पालन किया होता, तो क्या भारत

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सरकार को कोई अवैध लाभ या फायदा होता, विद्वान अधिवक्ता ने हमें पर्याप्ततः उचित रूप से बताया कि यदि याचिकाकर्ताओं को योजना के अंतर्गत सदस्य के रूप में नामांकित किया जाता है, तो उन्हें 2 लाख रुपये या उससे अधिक का आर्थिक लाभ मिलेगा, जबकि याचिकाकर्ता को कंडिका–5 के उपबंध में निहित निर्देशों का पालन करने के लिए केवल ₹1,70,000/– की राशि का भुगतान करना होगा। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि परंतुक में सम्मिलित शर्तें अनुचित या मनमानी हैं। इस तरह के मामले में, वैधानिक शक्ति के प्राप्तकर्ता को पेंशन योजना के नियमों और शर्तों को विरचित करने के लिए आवश्यक छूट दिया जाना चाहिए, और न्यायालय योजनाओं की शर्तों को निर्धारित नहीं कर सकता है और यह उसका क्षेत्राधिकार नहीं है। न्यायालय द्वारा देखी जाने वाली एकमात्र बात यह है कि क्या यह शर्त कि कर्मचारी को ब्याज के साथ योजना की कंडिका 3 के खंड (ख), (ग), (घ), (ङ) और (च) में निर्दिष्ट राशि के बराबर बकाया राशि पेंशन निधि में जमा करना होगा, को तर्कहीन और मनमाना माना जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) यह सत्य है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता या प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समान संरक्षण की गारंटी देता है, और इसलिए, प्रशासनिक नियम बनाने की अनुचितता को इस आधार पर भी चुनौती दी जा सकती है कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने कई प्रकरणों में अभिनिर्धारित किया है; उदाहरण के लिए, **एयर इंडिया विरूद्ध नरगेश मिर्जा**[1], **पश्चिम बंगाल विद्युत बोर्ड विरूद्ध देशबंधु घोष**[2], **महाराष्ट्र राज्य विरूद्ध राज कुमार**[3], **इंद्रवदन विरूद्ध गुजरात राज्य**[4], **मीनाक्षी विरूद्ध दिल्ली**

1 (1981) 4 SCC 335 = A.I.R. 1981 SC 1829
2 AIR 1985 SC 722 = (1985) 3 SCC 116
3 AIR 1982 SC 785 = (1982) 3 SCC 313
4 {1986 Supp. SCC 254}

विश्वविद्यालय[5] और **गुजरात विश्वविद्यालय विरूद्ध राजीव भट्ट**[6]। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 14 के अभिधारणाओं को लागू करते हुए उसके समक्ष आक्षेपित प्रत्यायोजित विधानों को रद्द कर दिया। यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि न्यायालय किसी प्रत्यायोजित विधान को अनुचितता के आधार पर केवल इसलिए निरस्त नहीं कर सकता है क्योंकि न्यायालय यह मानता है कि यह आवश्यक से अधिक हो गया है या इसमें ऐसे उपबंध नहीं हैं जो न्यायालय के अभिमत में उचित हैं। न्यायालय अपने ज्ञान को नियम बनाने वाले प्राधिकारियों के ज्ञान से प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। जब तक कोई नियम स्पष्टतः अन्यायपूर्ण , स्वेच्छाचारी , असमान या पक्षपातपूर्ण न हो, उसे अनुचितता या स्वेच्छाचारिता के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता। एक जिम्मेदार प्रशासनिक प्राधिकारी से, जिसे नियम बनाने की शक्ति सौंपी गई है, जो इस प्रकरण में और कोई नहीं अपितु केंद्र सरकार है के लिए सामान्यतः यह मान लिया जाना चाहिए कि सरकार को ज्ञान है कि क्या आवश्यक, तर्कसंगत , न्यायसंगत और उचित है। नियमों की विधिमान्यता का निर्णय उनके द्वारा आच्छादित प्रकरणों की सामान्यता द्वारा किया गया है, न कि त्रुटियों और अनियमितताओं की छिटपुट घटनाओं या व्यक्तिगत कठिनाई के आधार पर, जैसा कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा हमारे सामने उजागर किया गया है। दूसरे शब्दों में, तर्कसंगतता की कसौटी को जीवन की वास्तविकताओं के संदर्भ में लागू किया जाना चाहिए, जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने **महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विरुद्ध परितोष भुपेशकुमार सेठ**[7] के प्रकरण में अभिनिर्धारित किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5 (1989) 3 SCC 709
6 (1996) 4 SCC 60
7 {AIR 1984 SC 1543 = (1984) 4 SCC - 27}

(9) **जी.बी. महाजन विरुद्ध जलगांव नगर निगम**[8] के प्रकरण में, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि प्रशासनिक कार्रवाइयों पर लागू तर्कसंगतता का परीक्षण, अपकृत्य कानून में लागू परीक्षण या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत याचिका के माध्यम से प्रशासनिक कार्रवाई की समीक्षा करते समय लागू परीक्षण से भिन्न है।

(10) परिणामस्वरूप और पूर्वगामी कारणों से, हमें आक्षेपित प्रत्यायोजित विधान को किसी भी अनुमेय आधार पर अमान्य घोषित करने के लिए कोई आधार नहीं मिलता है।

(11) रिट याचिका गुणदोष से रहित है और तदनुसार इसे निरस्त किया जाता है। वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
मुख्य न्यायाधीश

सही/-
(दिलीप रावसाहब देशमुख**)**
न्यायाधीश

अंजनी

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

8 (1991) 3 SCC 91